न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 276/2023

अनवान : –

1. रघुवीर सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपुत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. ममता देवी पत्नी सुनील कुमार ब्रहमण निवासी खचवाना हाल वार्ड स0 25 शिवपुरा बाय भादरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक: 07/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 107/107 के ख.न. 413/463 मु.न. 140 के किला नं. 1/1 की 0.2270 हैक्टर, 1/2 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, 2/1 की 0.2280 हैक्टर, 2/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 3/1 की 0.2020 हैक्टर नहरी, 3/2 की 0.0130 हैक्टर गै.मु. खाला, 8,9,10, 11, 12 व 13 प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर भूमि किला नं. 18/1 की 0.2280 हैक्टर, 18/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, किला नं. 19 ता 22 प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर भूमि किला नं. 23/1 की 0.2280 हैक्टर, किला नं. 23/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला कुल 20 किता की 3.7570 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके सायल एंव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा, भूमि के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 217/107 के प.न. 413/463 के मु.न. 140 के किला नं. 14/1 की 0.2280 हैक्टर किला नं. 14/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 17 की 0.2530 हैक्टर, किला नं. 24 की 0.2530 हैक्टर एवं रोही मौजा चक 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 218/107 के प.न. 413/463 मु.न. 140 के किला नं. 7 की 0.2150 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके गैरसायल सं. 1 खातेदार काश्तकार है

रोही मौजा चक 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं, 107/107 की कुल तादादी 3.7580 हैक्टर भूमि के सायल एंव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में गैरसायल सं. 1 के नाम वाद भूमि का बैचान किया गया था एंव गैरसायल सं. 1 के नाम वादग्रस्त भूमि बैयनामा के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नामान्तरण हो चुका है परन्तु सायल के कब्जा काश्त में गैरसायल सं. 1 आये दिन दखल अन्दाजी करती है तथा सायल एंव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 की भूमि पर काबिज होने एवं सींव मिस्मार करने पर उतारू है इसलिए सायल एंव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के नाम रोही मौजा चक 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 107/107 की कुल 3.7570 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के खिलाफ कब्जा काश्त में मदाखलत न करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवापाने की अधि कारी है इन्ही आशयों की सायल न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधि कारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 107/107 की कुल 3.7570 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रार्थी के रिकार्ड में धारित कब्जा व काश्त में दखल न देवे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजपाल झोरड़ उपस्थित। जवाब पेश नही किया इसलिए जवाब बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 जी.जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 107/107 की कुल 3.7570 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके सायल एंव दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा, भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता स0 218/107 की कुल 0.2150 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी स0 1 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है एवं अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को सीवं व डोल को मिस्मार किया जा रहा है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है। उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न [illegible]कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों [illegible] प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इस[illegible] अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 14.12.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested